लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन

कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कोटद्वार (गढ़वाल) के अवधि माह 05/2012 से 05/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित सर्व श्री आर.एन. यादव एवं श्री अशोक कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री शेखर वर्मा, लेखापरीक्षक, द्वारा दिनांक 04-06-2016 से 09-06-2016 तक में संपादित लेखापरीक्षा का डी0पी0सी0एक्ट की धारा 13 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन।

निरीक्षण आख्या **कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कोटद्वार (गढ़वाल)**द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिये कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग-प्रथम

प्रस्तावनाः-

1. इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2012 से 05/2016 तक के लेखाभिलेखों की जांच की गयी।

2. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित कार्यालयाध्यक्ष नें खण्ड का कार्यभार सम्भाले रखा।

1. श्री दीवान सिंह चौहान – 04/2012 से 31-07-2013 तक।
2. श्री मो. इमरान अंसारी - 01-08-2013 से 05-12-2013 तक।
3. श्री राजेन्द्र कुमार - 06-12-2013 से अब तक।

3. पुरानी लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनिस्तारित कण्डिकाओं की स्थिति निम्नवत् थीः-

क्र0सं0	**लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0/वर्ष**	**अनिस्तारित कण्डिकाएं**	
		भाग दो 'अ'	**भाग दो 'ब'**
शून्य			

4. अप्रस्तुत अभिलेखः- शून्य

5. सतत अनियमिततायेः- -

6. गत तीन वर्षों में प्राप्त बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति

` लाख में

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	कुल आवंटन (कोषागार)			कुल व्यय (कोषागार)		
		प्लान	नान प्लान	अन्य कृषि भूमि संरक्षण कार्यक्रम	प्लान	नान प्लान	कुल व्यय अन्य कृषि संरक्षण कार्यक्रम
1.	2012-13	8.16	193.16	100.99	8.13	188.50	63.77
2.	2013-14	12.25	225.77	114.78	11.82	210.38	97.18
3.	2014-15	10.33	260.20	128.22	9.97	250.68	84.56
4.	2015-16	12.07	246.03	375.63	12.02	235.47	260.57

भाग दो 'ब'

प्रस्तर:-१ राज्य सरकार को ` 96453 की रॉयल्टी का भुगतान न किया जाना

उत्तराखंड शासन की अधिसूचना संख्या 62/VII-11-13/ 24-ख/2007 दी॰ 18-01-13 द्वारा अधिसूचित उत्तराखंड उपखनिज परिहार (संशोधन) नियमावली 2013 के अंतर्गत नयी तल से भिन्न स्थानो से प्राप्त खण्डास/बोल्डर्स आदि तथा निहित परयोजनों के लिए परयुक्त होने वाले बालू से भिन्न नदी तल से उपलब्द साधारण बालू आदि के लिए रॉयल्टी की दर ` 40 व 45 से क्रमश ` 80 व ` 90 प्रति घन मीटर कर दी गयी थी , जो तत्काल प्रभाव से लागू की ।

कार्यालय कृषि एवम भूमि संरक्षण अधिकारी , कोटद्वार के लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि कतिपय प्रकरणो मे कार्यालय द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यो पर कम दर से रॉयल्टी काटी गयी थी अथवा कम मात्रा पर ही रॉयल्टी का भुगतान किया गया था रॉयल्टी भुगतान किया ही नहीं गया। (सूची संलगन)।

इस संबंध मे इंगित करने पर कार्यालय के उत्तर मे बताया गया कि समय पर सूचना उपलब्ध न होने तथा जानकारी के अभाव मे कम दर से रॉयल्टी काटी गयी जिसकी जांच कर उचित कारवाई की जाएगी।

कार्यालय के उत्तर से स्पष्ट है कि रॉयल्टी का उचित दर पर राज्य सरकार को भुगतान नहीं किया गया था। जिससे राज्य को ` 96453 की राजस्व हानि हुई । प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

प्रस्तरः1- योजनाओं के निर्धारित भौतिक लक्ष्य की पूर्ति/प्राप्ति में कमी।

कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कोटद्वार के योजनावार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट वर्ष 2015-16 के विश्लेषण में पाया गया कि जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु घेरबाड़ योजना (RKVY) के निर्धारित भौतिक लक्ष्य 168(हे.) के सापेक्ष मात्र 119.50 (हे.) के लक्ष्य की पूर्ति की जा सकी तथा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति में 29 प्रतिशत की कमी रही। रा.कृ.वि.यो. भूमि जल संरक्षण द्वारीखाल योजना के निर्धारित भौतिक लक्ष्य 533(हे.) के सापेक्ष मात्र 343.50 (हे.) के लक्ष्य की पूर्ति की जा सकी तथा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति में 29 प्रतिशत की कमी रही। एकीकृत भूमि एवं जल संरक्षण योजना (RKVY) के निर्धारित भौतिक लक्ष्य 665.54 (हे.) के सापेक्ष मात्र 339.00 (हे.) लक्ष्य की पूर्ति की जा सकी तथा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति में 49 प्रतिशत की कमी रही। इसी प्रकार भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त भूमि एवं जल संरक्षण कार्य योजना के निर्धारित भौतिक लक्ष्य 8449.70 (हे.) के सापेक्ष मात्र 500 (हे.) लक्ष्य की पूर्ति की जा सकी तथा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति में 94 प्रतिशत की कमी रही।

इस प्रकार योजनाओं के भौतिक लक्ष्य की पूर्ति में कमी के संबंध में इंगित किये जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि भौतिक लक्ष्य प्राप्त धनराशि (बजट) के सापेक्ष किया गया। धनराशि उपलब्धता के अनुसार लश्यों की पूर्ति कर ली जायेगी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उक्त योजनाओं हेतु इकाई को प्राप्त/आवंटित धनराशि पूर्णतः खर्च नहीं की जा सकी था जिसके कारण भौतिक लक्ष्य पूर्ति में कमी थी।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका। उनको नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित करके अलग **कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कोटद्वार (गढ़वाल)** को प्रेषित, जिसकी अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/आर्थिक खण्ड, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक-II